

ई-मेल

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक : 2165 / XV , फर्रुखाबाद : दिनांक : अगस्त 18 , 2022
विषय : माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 2435/LXXXVII-CPC/e-Courts,
दिनांकित 13.02.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 2435/LXXXVII-CPC/e-Courts, दिनांकित 13.02.2022 के अनुपालन में सभी न्यायालयों में ओपन कोर्ट के माध्यम से सुनवाई की गयी। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार इस अधिष्ठाण में कार्य सम्पादित किया गया।

मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रुखाबाद से प्राप्त कोरोना वायरस (कोविड-19) सैम्पल दैनिक रिपोर्ट दिनांकित 18.08.2022 के अनुसार जनपद में दैनिक कोरोना टेस्ट की संख्या 941 कोरोना टेस्ट की कुल संख्या 611317, टेस्ट के उपरान्त प्राप्त जांच रिपोर्ट की कुल संख्या 972250, जाँच अवशेष कोरोना टेस्ट की संख्या 74, पाजिटिव पाये गये मरीजों की संख्या 12159, निगेटिव पाये गये मरीजों की संख्या 957082 तथा आज प्राप्त रिपोर्ट की संख्या 81 है। आख्या की छयाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

इस अधिष्ठाण में दिनांक 18.08.2022 को कुल 77 वाद/प्रार्थना पत्र दाखिल किये गये तथा 117 वाद/प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया। सम्बन्धित विवरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये वेबलिनक पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि वांछित आख्या माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

I/C जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।
18.08.2022

संघा मे,

भाग 10 जनपद न्यायाधीश
फर्लखाबाद ।

कोरोना वायरस (कोविड-19) संपल दैनिक रिपोर्ट जनपद-फर्लखाबाद (दिनांक-18.08.2022)

समय- 10.00 प्रातः

जनपद का नाम	दैनिक कोरोनाटेस्ट की संख्या	कोरोना केस टेस्ट की कुल संख्या	टेस्ट के उपरान्त रिपोर्ट की कुल संख्या	अवशेष कोरोना टेस्ट की संख्या	पॉजिटिव पाये गये मरीजों की संख्या	निर्गेटिव पाये गये मरीजों की संख्या	आज की प्राप्ति रिपोर्ट की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
फर्लखाबाद	941	611317	972250	74	12159	957082	81

1. डाटा दिनांक 17.07.2022 अपराहन 3:30 से आज दिनांक 18.07.2022 अपराहन 12:30 तक का है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

फर्लखाबाद